ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत उत्पादन निगम की सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का विमोचन

ऊर्जामंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने 11 अगस्त 2011 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की सामाजिक उत्तर दायित्व नीति (कारपोरेट सोशियल रेसपोन्सिबिलिटी पालिसी) की पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर ऊर्जा सचिव श्री नरेशपाल गंगवार, विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी.एन.सिंहल, निदेशक प्रोजेक्ट श्री पी.सी.जैन, अजमेर डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक श्री पी.एस. जाट, विद्युत प्रसारण निगम के तकनीकी निदेशक श्री वाई.के.रायजादा, वित्त निदेशक श्रीमती शशी माथुर, जयपुर डिस्काम के निदेशक श्री ए.के.गुप्ता व जोधपुर डिस्काम के निदेशक श्री एस.एल. माथुर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह सीएसआर पालिसी एक प्रशंसनीय कदम है। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम इस नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों को इस प्रकार संचालित करेगा कि यह विद्युत परियोजनाओं के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रभावित जनों के जीवन स्तर को समुन्नत करने में सफल रहेगी। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा इस नीति के कियान्वयन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगो के हित में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, बिजली, स्वच्छता, संचार, पर्यावरण और परिवहन जैसे सामुदायिक विकास कार्यो के लिए निश्चित धनराशि उपलब्ध कराकर सहयोग देने से संबंधित क्षेत्र के लोगो में आशा, विश्वास और सद्भावना का वातावरण निर्मित होने के साथ–साथ खुशहाली आएगी।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी.एन.सिंहल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भी इस नीति के सफल कियान्वयन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों के हित में जनोपयोगी योजनाओं के कियान्वयन से उनका जीवन स्तर उंचा उठेगा और उनको अनुभव होगा कि वे राज्य के विद्युत विकास कार्यकम के प्रमुख सहभागी है।

श्री सिंहल ने बताया कि इस नीति के अन्तर्गत संबंधित विद्युतगृह / परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में व्यय की जाने वाली राशि का आधार निम्नानुसार निश्चित किया गया है –

- कोयला आधारित नये सुपर क्रिटिकल ताप बिजलीघरों के लिए प्रति मेगावाट 2.5 लाख रूपये/
- नए सब क्रिटिकल तापबिजलीघरों के लिए प्रति मेगावाट 2 लाख रूपये/
- नए गैस आधारित ताप बिजलीघरों के लिए प्रति मेगावाट 1.5 लाख रूपय/
- नई हाईड्रो एवं माइनिंग परियोजनाओं के लिए प्रारम्भिक लागत के 0.4 प्रतिशत की राशि एवं
- वर्तमान में संचालित बिजलीघरों के लिए उनके वार्षिक परिचालन एवं संधारण व्यय का 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष

———